न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट), वाराणसी।

पीठासीन अधिकारी– महन्थ लाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

आपराधिक निगरानी संख्या– 10/2017

1– संतोष कुमार पुत्र स्व0 शम्भूनाथ

2– श्रीमती गायत्री देवी उर्फ सोना पत्नी संतोष कुमार

निवासीगण मकान नम्बर बी. 36/43 ए–ए शक्ति नगर कालोनी खोजावां थाना भेलूपुर जिला वाराणसी। ————निगरानीकर्तागण

बनाम

1–सकार उत्तर प्रदेश

2– श्रीमती कमला देवी पत्नी कन्हैया लाल निवासिनी मकान नम्बर बी. 33/44–बी–1 शक्ति नगर कालोनी, खोजवां थाना भेलूपुर जिला वाराणसी। ————प्रत्यर्थीगण

निर्णय

प्रस्तुत आपराधिक निगरानी निगरानीकर्तागण संतोष कुमार एंव श्रीमती गायत्री उर्फ सोना द्वारा विद्वान अवर न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय कक्ष संख्या–3, वाराणसी के द्वारा परिवाद संख्या–3452 सन् 2016, कमला देवी बनाम संतोष थाना भेलूपुर जिला वाराणसी में पारित आदेश दिनांकित 05–12–2016 के विरूद्ध दाखिल किया है,जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ती गायत्री देवी को धारा 452,323,504 भा0द0सं0 व संतोष कुमार को धारा 420,452,323,504 भा0द0सं0 के प्रथम दृष्ट्या अपराध के लिये तलब किया गया है।

2– इस निगरानी के निस्तारण के लिये आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थिनी कमला देवी ने अवर न्यायालय में परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया किउसके वृद्धावस्था का फायदा उठाकर वृद्धा पेंशन दिलाने के नाम पर दिनांक 8–4–93 को उसके मकान का फर्जी सट्टा करा लिया गया। यह कृत्य स्व0 पार्वती देनी के नाम से कराया गया। उक्त सट्टा निरस्तीकरण का वाद चल रहा है। दौरान मुकदमा निकट में दुलारी ने मकान में रह रहे संतोष कुमार जो मकान संख्या बी. 36/43 में रह रहा है,मीठी–मीठी बातें करके प्रत्यर्थिनी को भरोसा दिलाया कि वह वृद्ध हो गयी है, कचहरी कहां जायेगी,वह

उसका मुकदमा देख लेगा तथा दुलारी का भी मुकदमा देख लेगा। प्रत्यर्थिनी विश्वास कर ली। सतोष कुमार दुलारी देवी व प्रत्यर्थिनी का मुकदमा देखने लगा व सारे कागजात देखने लगा और विश्वास में लेकर प्रत्यर्थिनी का आधा मकान बेंचवा दिया। मकान 30 लाख रूपये में बिका। उसमें से मात्र 15 लाख रूपया प्रत्यर्थिनी के छोटे लड़के को दिया। पन्दरह लाख रूपया जो प्रत्यर्थिनी के एकाउन्ट में आया था, उसे संतोष कुमार फ्राड करके अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया। प्रत्यर्थिनी का गलना जो दो लाख रूपये का था, उसे रख लिया है। मुकदमा खत्म कराने के नाम पर 50,000/—रूपया एडवांस लिया। इस प्रकार उसका 20 लाख रूपया हड़प लिया है। संतोष कुमार फ्राड करके दुलारी देवी के मकान को भी फर्जी ढंग से बैनामा कराकर बेंचने के लिये पांच लाख रूपया संतोष ओझा से प्राप्त कर लिया है और प्रत्यर्थिनी को बराबर धमकी दे रहा है कि कोई कार्यवाही की तो तुमको जान से मार दूॅगा। उक्त फर्जी बैनामें के आधार पर नगर निगम में नया नम्बर लेकर बेंचने के फिराक में है।

3— धारा 200 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रत्यर्थिनी/परिवादिनी कमला देवी एंव धारा 202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत दुलारी देवी एंव राम चन्दर के बयान के आधार पर निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण में से अभियुक्ता गायत्री देवी को धारा 452,323,504 भा0द0सं0 व संतोष कुमार को धारा 420,452,323,504 भा0द0सं0 के प्रथम दृष्ट्या अपराध के लिये तलब किया गया, जिससे क्षुब्द्ध होकर निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी योजित की गयी है।

4— निगरानी में निगरानीकर्तागण का कथन है कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव साक्ष्यों के विरूद्ध अवर न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर जुडिशियल माइन्ड का न प्रयोग करते हुए और बिना कोई कारण दर्शाते हुए प्रश्नगत समनिंग आदेश निगरानीकर्तागण के विरूद्ध परित किया है। वादिनी द्वारा झूठे कथनों के आधार पर वाद दाखिल किया गया है अतः निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत समनिंग आदेश दिनांक 05—12—2016 निरस्त किया जाय।

5— निगरानीकर्तागण की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं आया। मैने सहायक शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुना।

6— सहायक शासकीय अधिवक्ता की तरफ से तर्क रखा गया कि विद्वान अवर न्यायालय का आदेश पूर्णतया युक्ति—युक्त, सुसंगत व विधिपूर्ण है। विद्वान अवर न्यायालय ने शपथ पर परीक्षित साक्षियों परिवादिनी कमला देवी

एंव पी0डब्लू0–1 दुलारी देवी व पी0डब्लू0–2 राम चन्दर के बयान के आधार पर निगरानीकर्तागण संतोष कुमार व श्रीमती गायत्री देवी को धारा 420,452,323,504 भा0द0सं0 में समन किया है। विद्वान अवर न्यायालय का आदेश पूर्ण रूप से साक्ष्य के प्रथम दृष्ट्या विश्लेषण पर आधारित है और उक्त आदेश में कोई त्रुटि नहीं है,क्योंकि विद्वान अवर न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए यथोचित आदेश पारित किया है अतः निररानी निरस्त की जाय।

7– मैने पत्रावली का परिशीलन किया।

8– विद्वान अवर न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 05–12–2016 द्वारा गायत्री देवी व सतीश को धारा 452,323,504 भा0द0सं0 एंव संतोष कुमार को धारा 420,452,323,504 भा0द0सं0 में आहूत किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने परिवाद पत्र में कथित बातों का उल्लेख करते हुए संतोष द्वारा परिवादिनी व दुलारी को विश्वास में लेकर मुकदमें के सारे कागजात को देखने लगा और परिवादिनी का आधा मकान 30 लाख रूपये में बेंच दिया, लेकिन मात्र 15 लाख रूपये परिवादिनी के छोटे लड़के को एडवांस मिला और 15 लाख रूपये अपने खातें में ट्रांसफर करवा लिया। इस प्रकार मेरे विचार से विद्वान अवर न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय का आदेश पूर्ण रूप से परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित है और उक्त आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

9– उपरोक्त सम्यक विवेचना के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि निगरानीकर्ता द्वारा लायी गयी निगरानी में कोई बल नहीं है अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता की आपराधिक निगरानी खारिज की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांकित 05–12–2016 की पुष्टि की जाती है। निगरानीकर्तागण दिनांक 11–05–2018 को अवर न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

दिनांकः– 12–04–2018

(महन्थ लाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट),
वाराणसी।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवम् उद्घोषित किया गया।

दिनांकः— 12—04—2018

(महन्थ लाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट),
वाराणसी।